राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0)
तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/NRHM/2012/2511 भोपाल, दिनांक 19.10.12

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः–औषधि वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

1/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस वर्ष की पी0आई0पी0 में प्रदेश के जिला अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक में औषधियों का वितरण करने के लिए राशि प्रावधानित की गई है। दवा वितरण की योजना का मुख्य सार निम्नानुसार है:–

**1.1 औषधि उपार्जन – स्वीकृत राशि 5174.96 लाख
(एफ.एम.आर. कोड बी.16.2)**

यह प्रावधानित राशि प्रदेश के सभी 50 जिलों को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुपात में आवंटित की जा रही है। परिशिष्ट–1 के कॉलम–3 में जिलेवार आवंटित की गई राशि का विवरण अंकित किया गया है। यह राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवंटित की गई है। उनका यह दायित्व होगा कि वे प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक अनिवार्य औषधि सूची (ई0डी0एल0) के अंतर्गत जो न्यूनतम अनिवार्य औषधियों की सूची केन्द्रवार चिन्हित की गई है, उस अनुसार राज्य सरकार की दवा नीति का पालन करते हुए औषधियों का उपार्जन करें। राज्य सरकार की दवा नीति का अक्षरशः पालन करना होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में औषधि का भण्डार सुनिश्चित हो ताकि औषधियों की उपलब्धता में कोई कमी न रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पी0आई0पी0 के अंतर्गत प्रति मरीज जो औसत सीमा निर्धारित की गई है, उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

**1.2 मानव संसाधन – स्वीकृत राशि 1402.92
(एफ.एम.आर. कोड बी.16.2 सी.)**

1.2.1 प्रदेश के कुल 866 केन्द्रों के लिए ही पद स्वीकृत हुये हैं। जिलेवार इन केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–2 से 5 तक संलग्न है। सूची अनुसार 866 केन्द्रों में से 50 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, 50 जिला अस्पताल, 56 सिविल अस्पताल, 333

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 377 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर मुख्य रूप से संस्थागत प्रसव होते हैं, के लिए ये पद स्वीकृत हुये हैं। प्रत्येक केन्द्र के लिए 1 फार्मासिस्ट (रूपये 12000 प्रतिमाह) 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (रूपये 9000 प्रतिमाह) तथा 1 सपोर्ट स्टाफ (रूपये 6000 प्रतिमाह) के निश्चित मानदेय पर संविदा पर नियुक्त किये जाने के लिए ये पद स्वीकृत है। इन पदों पर राज्य स्तर पर निर्धारित आरक्षण नियमों को लागू किया गया है। इस अनुसार फार्मासिस्ट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक संवर्ग में निम्नानुसार आरक्षित पदों का विभाजन किया गया है:–

सामान्य/अनारक्षित	433 पद (303 पुरूष वर्ग एवं 130 महिला वर्ग)
अनुसूचित जनजाति	173 पद (121 पुरूष वर्ग एवं 52 महिला वर्ग)
अनुसूचित जाति	139 पद (97 पुरूष वर्ग एवं 42 महिला वर्ग)
अन्य पिछड़ा वर्ग	121 पद (85 पुरूष वर्ग एवं 36 महिला वर्ग)

1.2.2 राज्य स्तर से परिगणित किये गये इन आरक्षित पदों को जिलों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट–6 में दिया गया है। इन पदो के अनुसार जिलों में संविदा पर नियुक्तियों की जाना होंगी। पदवार अर्हता परिशिष्ट–7 में संलग्न है। पदों की नियुक्ति के लिए पूरे राज्य के लिए केन्द्रीयकृत विज्ञापन राज्य स्तर से जारी किया जा रहा है, जिसमें पदों का विवरण, निश्चित मानदेय, पद के लिए निर्धारित अर्हता आदि का विवरण दिया जाएगा। इस केन्द्रीयकृत विज्ञापन के संदर्भ में जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त होंगे, जिनकी छानबीन कर उपयुक्त आवेदकों को संविदा पर नियुक्ति देने के अधिकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रदत्त किये जाते हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

(1)	जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
(2)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	सदस्य सचिव
(3)	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	–	सदस्य
(4)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का एक सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
(5)	कलेक्टर द्वारा नामांकित संयुक्त कलेक्टर स्तर का अधिकारी	–	सदस्य

1.2.3 उपरोक्त पदों के लिए जिलावार आवंटित की गई राशि परिशिष्ट–1 के कॉलम–4 में पदवार अंकित की गई है।

1.3 दवा स्टोर हेतु कम्प्यूटर – स्वीकृत राशि 3.40 करोड़ (एफ.एम.आर. कोड बी.16.2 ई.)

50 जिला अस्पतालों, 50 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 7 क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के स्टोर के लिए 1–1 कम्प्यूटर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन 440 कम्प्यूटरों, प्रिन्टर, यू.पी.एस. के लिए प्रति यूनिट

औसतन रूपये 75000 की राशि आवंटित की जाती है। परिशिष्ट–1 के कॉलम–5 में जिलावार आवंटित राशि का विवरण अंकित है। इसका क्रय लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर आधुनिकतम मापदण्डों के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता के होना सुनिश्चित किये जायें। कम्प्यूटर के साथ यू.पी.एस., प्रिन्टर आदि सभी आवश्यक सामग्री एक साथ ही क्रय की जाए ताकि यूनिट का संचालन गुणवत्तापूर्वक हो सके।

1.4 दवा वितरण केन्द्रों की स्थापना – स्वीकृत राशि 1200 लाख (एफ.एम.आर. कोड बी.16.2 जी.)

सभी 1595 केन्द्रों जिनमें 50 जिला अस्पताल, 56 सिविल अस्पताल, 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, पर दवा वितरण काउन्टर बनाने के लिए कम्प्यूटर पेरीफेरल, रेक, रेफरीजरेटर, टेबल, कुर्सी, दवा के डिब्बे एवं काउन्टर निर्माण हेतु प्रति केन्द्र के मान से रूपये 75000 की राशि जिलों को आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट–1 के कॉलम–6 में दिया गया है। उक्त सामग्री मध्यप्रदेश शासन के भण्डार कय नियमों का पालन करते हुए कय की जावेगी।

1.5 प्रशासनिक व्यय

प्रत्येक जिले को प्रशासनिक व्यय के लिये परिशिष्ट–1 के कॉलम–7 अनुसार राशि आवंटित की जाती है। प्रशासनिक व्यय की राशि दवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत संगत गतिविधियों के संचालन में उपयोग में लाई जा सकेगी, जिनमें मोबिलिटि सपोर्ट भी शामिल है।

2/ दवा वितरण का कार्यक्रम पूरे राज्य में दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से प्रारंभ किया जाना है इसलिये यह आवश्यक है कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं संपूर्ण स्वास्थ्य अमला इस बात को सुनिश्चित करे कि औषधियों की उपलब्धता निरन्तर बनी रहे तथा दवा वितरण का कार्य पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शिता से किया जाये। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे दवा वितरण की इस महत्वाकांक्षी योजना का जिलावार नियमित रूप से पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्बाध संपन्न कराया जाए।

19/10/12

(डी0 डी0 अग्रवाल)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/NRHM/2012/2512 भोपाल, दिनांक 19.10.12

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है कि वे भी उनके चिकित्सा महाविद्यालयों के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में उपरोक्तानुसार व्यवस्था उनके विभागीय मद से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर अनुरोध है कि वे अपने स्तर से पूरे संभाग की औषधि वितरण व्यवस्था की निरन्तर मॉनिटरिंग करें।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे पूरी व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि इस व्यवस्था में कोई कमी न रहे।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे जिला अस्पतलों की व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ बनायें ताकि औषधि वितरण का काम सुचारू रूप से संचालित हो।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश